

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सर्किल)

क्र.जे.पी.डी.मु.अ.(प्रोजेक्ट प्लानिंग)जयपुर/अधी.अभि.(आर.ई)/ अधी.अभि.(ii)/प.146/प्रे. 1067 दि 23/8/17
स्पष्टीकरण

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दू संख्या 11.4 के संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी करने हेतु।

कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उनके फ्लेट रेट कनेक्शन की श्रेणी का परिवर्तन, मीटर प्रणाली में जले हुये ट्रांसफार्मर को मीटर प्रोटेक्शन वाले ट्रांसफार्मर से बदलने पर किया जा रहा है।

नयी कृषि कनेक्शन नीति-2017 (आर.ई.ओ-267 दिनांक 12.08.2017) के बिन्दू संख्या 11.4 के अनुसार सभी योजनाओं के अन्तर्गत नये कृषि कनेक्शन मीटर प्रणाली द्वारा ही किये जायेंगे एवं सभी वालू फ्लेट रेट कृषि कनेक्शनों को समयबद्ध तरीके से मीटर प्रणाली में बदला जायेगा। नाम बदलवाने, कनेक्शन स्थानान्तरित करवाने, भार बढ़वाने अथवा कम करवाने एवं दो साल से अधिक कटे कनेक्शनों को जुड़वाने पर फ्लेट रेट प्रणाली को अनिवार्य रूप से मीटर प्रणाली में बदल दिया जावेगा।

अतः इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे फ्लेट रेट उपभोक्ता जिनका ट्रांसफार्मर जल गया है तथा उसे मीटर एवं प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर से बदला गया है, यदि उपभोक्ता ट्रांसफार्मर बदलते समय स्वैच्छा से श्रेणी परिवर्तन करने का अनुरोध करे तो ही कनेक्शन का श्रेणी परिवर्तन मीटर प्रणाली में किया जावे।

Rn 14
(आर.एन.कुमावत)
मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट प्लानिंग)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2-अध्यक्ष डिस्कॉमस जयपुर।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 4-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर/भरतपुर/कोटा।
- 6-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावेधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 10-प्रावेधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 11- प्रावेधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
- 12- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रागबाग सर्किल), जयपुर।
- 13-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 14-सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 15-अधिशायी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 16- विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 17-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 18-निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
- 19- निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।
- 20-इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।

Rn 14
मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट प्लानिंग)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर